तंबाकू का अर्थशास्त्र

डॉ.रामप्रताप गुप्ता

तंबाकू की खेती, प्रसंस्करण एवं विपणन में लगे 3.5 करोड़ लोगों को रोज़गार देने के लिए देश को 8000 रुपए प्रति व्यक्ति की दर से खामियाजा भुगतना पड़ता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का अनुमान है कि तंबाकू के सेवन से देश को वर्ष 1999-2000 में 27,000 करोड़ एवं वर्ष 2002-03 में 39,000 करोड़ रुपए की हानि उठानी पड़ी थी।

भारत विश्व में तंबाकू उत्पादन करने वाला तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्र है। हमारे यहां इसकी सर्वाधिक खेती आंध्र प्रदेश में होती है। इसकी खेती, इसके प्रसंस्करण और विपणन से देश के 3.5 करोड़ लोग आजीविका प्राप्त करते हैं।

विश्व में जहां तंबाकू का उपयोग मुख्य रूप से सिगरेट के रूप में किया जाता है, वहीं भारतीयों द्वारा इसके उपयोग में काफी विविधता है। वे बीड़ी, सिगरेट के माध्यम से धूम्रपान तो करते ही हैं, साथ ही जर्दे, गुटके, पान-मसाले के रूप में भी इसका सेवन करते हैं। पान के साथ तंबाकू खाने का प्रचलन भी खूब है।

तृतीय राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार देश के 15 से 49 वर्ष आयु वर्ग के पुरुषों में एक तिहाई बीड़ी, सिगरेट पीते हैं और 37 प्रतिशत गुटकों, पान-मसाले आदि के रूप में इसका सेवन करते हैं। सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि शहरी लोगों की तुलना में ग्रामीणों, शिक्षितों की तुलना में अशिक्षितों और संपन्न लोगों की तुलना में गरीबों द्वारा तंबाकू का अधिक सेवन किया जाता है।

देश में तंबाकू सेवन के इस स्वरूप की पृष्ठभूमि में इसके सेवन से उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर नज़र दौड़ाएं, तो काफी चिंताजनक परिदृश्य सामने आता है।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार तंबाकू के सेवन से कैंसर, रक्त की धमनियों के सख्त होने, हृदय रोग और श्वास सम्बंधी रोग जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसके सेवन से देश में प्रति वर्ष 9 लाख लोग अकाल मृत्यु के शिकार होते हैं। प्रतिष्ठित पत्रिका लेंसेट के अनुसार तंबाकू के सेवन से देश में प्रति वर्ष 1,60,000 लोग कैंसर, 35 लाख लोग धमनियों एवं हृदय के रोगों तथा 39 लाख लोग श्वास सम्बंधी रोगों के शिकार होते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का तो कथन है कि स्वास्थ्य सम्बंधी 40 प्रतिशत समस्याओं के लिए तंबाकू का सेवन ही ज़िम्मेदार होता है।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने हिसाब लगाया है कि तंबाकू के सेवन से देश को वर्ष 1999-2000 में 27,000 करोड़ एवं वर्ष 2002-03 में 39,000 करोड़ रुपए की हानि उठानी पड़ी थी। अगर हम तंबाकू की खेती एवं

व्यवसायों में लगे 3.5 करोड़ व्यक्तियों के पीछे प्रति व्यक्ति क्षति की गणना करें तो यह 8000 रुपए प्रति व्यक्ति आती है। तंबाकू की खेती, प्रसंस्करण एवं विपणन में लगे 3.5 करोड़ लोगों को रोज़गार देने के लिए देश को 8000 रुपए प्रति व्यक्ति की दर से खामियाजा भुगतना पड़ता है। चूंकि तंबाकू सेवन करने वालों में गरीबों, ग्रामीणों और अशिक्षितों का ही बाहुल्य होता है अतः वे ही इससे उत्पन्न क्षति का अधिकांश बोझ वहन करते हैं।

अगर देश में तंबाकू के उत्पादन और सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया जाए तो सबसे अधिक लाभ ग्रामीणों और गरीबों को ही मिलने वाला है। परंतु तंबाकू सेवन की व्यापकता एवं उसका सेवन करने वालों की विशाल संख्या को देखते हुए इस पर प्रतिबंध लगाना वर्तमान में तो व्यावहारिक नहीं है। सबसे पहले तो इसके उपभोक्ताओं की संख्या में कमी लाने के प्रयास करने होंगे। भारत सरकार पिछले कुछ वर्षों से इसी दिशा में प्रयत्नशील रही है। देश के पिछले कई वर्षों के बजटों में तंबाकू पर करों में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि की जाती रही है। इस वर्ष भी जहां करों की लगभग सभी दरों में कमी की गई है, तंबाकू पर कर बढ़ाया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में अखबारों, टीवी, फिल्मों आदि में तंबाकू के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू एवं उसके उत्पाद बेचने पर प्रतिबंध भी लगा दिया है।

विशेषज्ञों की मान्यता है कि भारत का सिगरेट एवं तंबाकू उत्पाद सम्बंधी सन 2003 का कानून विश्व के कठोरतम कानूनों में से एक है। तंबाकू कंपनियों द्वारा खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रायोजन पर भी रोक लगा दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री ए. रामदास ने फिल्मों आदि में धूम्रपान के दृश्यों पर रोक लगाने की बात भी कही है। साथ ही सिगरेट के पैकेट्स पर इसके सेवन से स्वास्थ्य पर हानिकारक परिणामों के बारे में चेतावनी छापना भी अनिवार्य कर दिया गया है। मगर सिगरेट उत्पादक इस कानूनी प्रावधान की पूर्ति अत्यंत बारीक अक्षरों में चेतावनी छापकर पूरी कर लेते हैं।

9 दिसंबर 2007 से सिगरेट के पैकेटों पर कैंसर, मुंह की बीमारियों, फेफड़े की बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों के चित्र छापना भी अनिवार्य था, परंतु अभी तक ऐसे पैकेट बाज़ार में नहीं आए हैं। शायद अब इसे क्रियान्वित किया जाएगा।

इतना सब होने के बाद भी देश में तंबाकू के सेवन में कोई कमी नहीं आ सकी है, कारण कि अब तक के सारे प्रयास सिगरेट के उपभोग में कमी लाने पर केंद्रित रहे हैं, जबकि तंबाकू का मुख्य उपयोग बीड़ी, गुटका, पान मसाला आदि के रूप में होता है। तंबाकू के सेवन करने वालों में सिगरेट पीने वालों की संख्या तो 14 प्रतिशत ही है; बीड़ी पीने वाले 38 प्रतिशत तथा 48 प्रतिशत तो गुटका, पान-मसाले के रूप में ही इसका सेवन करते हैं। आज नहीं तो कल, हमें बीड़ी, गुटका, पान मसाला आदि के सेवन पर नियंत्रण के प्रयास करना ही होंगे। गुटका, पान मसाला का प्रसार तो इस कदर हो गया है कि देश के छोटे-से-छोटे गांव में दैनिक उपयोग की अन्य वस्तुएं मिलें न मिलें, गुटका आदि तो मिल ही जाते हैं। महाराष्ट्र और उत्तरप्रदेश सरकार ने गुटकों पर प्रतिबंध लगाकर अभिनंदनीय कार्य किया है। देर सबेर अन्य राज्यों को भी इसी दिशा में कदम उठाने होंगे।

जहां देश का बहुमत तंबाकू के सेवन को हतोत्साहित करने की मांग कर रहा है, वहीं तंबाकू उद्योग के पक्ष में खड़े होने वाले भी हैं। देश के 4 तंबाकू उत्पादक राज्यों के मुख्य मंत्रियों एवं 950 संसद सदस्यों ने तंबाकू एवं उससे जुड़े व्यवसायों में कार्यरत लोगों के हितों को ध्यान में रखने की अपील की है। तर्क है कि इनकी संख्या बहुत बड़ी है तथा ये लोग मुख्य तौर पर असंगठित क्षेत्र में हैं और निम्न आय वाले हैं। परंतु जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं, तंबाकू व्यवसाय से जुड़े 3.5 करोड़ लोगों को रोज़गार देने में देश को प्रति रोज़गार 8000 रुपए की लागत वहन करनी पड़ रही है। निश्चित ही उन्हें अन्य व्यवसायों में रोज़गार दिलाने की लागत इससे कहीं कम होगी। कानूनों द्वारा तंबाकू के सेवन में कमी लाने के इन प्रयासों के साथ-साथ प्रचार फिल्मों, विज्ञापनों आदि के द्वारा जनता को इसके सेवन के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक भी करना होगा। ***(स्रोत फीचर्स)***